Attachement 2.43 (A)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :–

1	क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से ग्राम कुश व कुशदेव महादेव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 25.20 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
	ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है :–	कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण –	1.753 हे0 वन पंचायत, कुल 1.753 हे0 वन भूमि
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :–	
	क) परिवारों की संख्या :–	शून्य
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	शून्य
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

तिथि 25/02/2015
स्थान – थराली

(इं0 घन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

प्रपत्र – 3

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0 .....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से ग्राम कुश व कुशदेव महादेव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	चमोली
iii)	वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली।
iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	1.753 हे0 वन पंचायत, कुल 1.753 हे0 वन भूमि
8	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	–तदैव–
9	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	
i)	वन का प्रकार	उत्तम
ii)	वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.2 प्रतिशत
iii)	प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रस्ताव में संलग्न
iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	प्रस्ताव मे संलग्न
10	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न
11	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	2.00 किमी0
12	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
i)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	लागू नहीं
ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने मे मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)	लागू नहीं
iii)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	लागू नहीं
iv)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	लागू नहीं

v)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	लागू नही
13	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	शून्य
14	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
i)	क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	वन भूमि न्यूनतम है, अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं गया। स्वीकृति प्राप्त के पश्चात निर्माण करवाया जाना है।
ii)	यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	–
15	किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
i)	क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नही
ii)	यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	शून्य
iii)	क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं
16	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
i	क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न
ii	अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है।
iii	क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 मापक के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है।
iv	रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय :	.... लाख
v	क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां
17	वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापो के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हां
18	स्वीकृति या अन्यथा कारणो के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	संस्तुति की जाती है।

तिथि 27/02/15

स्थान – उत्तरकाशी

हस्ताक्षर

[illegible] अधिकारी

(नाम ....)

सरकारी मुहर

Attachement 2.43 (B)

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Dt. .... for diversion under FCA-1980) of 1.753 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for Construction of Gram Kush & Kushdev Mahadev Motor Road from Km. 13 of Parkal Kedarkot Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated ....20/02/15.....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 1.753 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so the details there of .

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority if required -

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation). Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency ahs violated the forest (Conservation). Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of Chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग

गोपेश्वर (चमोली)

Place – ...Gopeshwar

Date – 20/02/15

(Signature) वनाधिकारी

Name ---------------------

Designation ---------------------

Office Seal ---------------------

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report form DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.